अध्याय–19

वर्ष 2011–12 के लिए कोयला मंत्रालय के लिए परिणाम ढांचागत संबंधी दस्तावेज (आरएफडी) तथा उपलब्धियां–

19.1 मंत्रिमंडल सचिवालय के तत्वावधान में कोयला मंत्रालय में 2009–10 में निष्पादन की मॉनीटरिंग व मूल्यांकन हेतु प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई शुरू की गई थी। परिणाम ढांचागत संबंधी दस्तावेज (आरएफडी) 2011–12 के आधार पर वर्ष 2011–12 के लिए मंत्रालय के निष्पादन का मूल्यांकन किया गया था। वर्ष 2012–13 के लिए कोयला मंत्रालय के परिणाम ढांचागत संबंधी दस्तावेज मंत्रिमंडल सचिवालय को प्रस्तुत किये गए थे जिसका मुख्य उद्देश्य सीआईएल द्वारा कोयला उत्पादन तथा कोयला उठान, एनएलसी द्वारा लिग्नाइट उत्पादन और विद्युत उत्पादन हेतु वार्षिक कार्य योजना लक्ष्यों की उपलब्धियां, विनियमित विद्युत कंपनियों को पर्याप्त कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करना, केप्टीव कोयला ब्लाकों से विकास एवं उत्पादन, संसाधनों के अन्वेषण पर बल, कोयला वाशिंग क्षमताओं में वृद्धि, खानों में सुरक्षा स्थिति में सुधार, कोलफील्ड्स क्षेत्रों में रेल व सड़क अवसंरचना का विकास सुनिश्चित करना तथा अन्य नीतिगत मुद्दे शामिल हैं।

19.2 वर्ष 2011–12 के लिए कोयला मंत्रालय का परिणाम ढांचागत संबंधी दस्तावेज तथा इसकी मूल्यांकन रिपोर्ट **परिशिष्ट–क** पर दी गयी है।

परिशिष्ट-क

सत्यमेव जयते

आर एफ डी

कोयला मंत्रालय का आरएफडी

(परिणाम ढांचा संबंधी दस्तावेज)

(2011-2012)

कोयला मंत्रायल का परिणाम - ढांचा संबंधी दस्तावेज (2011-12)

खण्ड1:

दृष्टिकोण, लक्ष्य, उद्देश्य तथा कार्य

दृष्टिकोण

पारिस्थितिकीय रूप से अनुकूल, स्थायी तथा लागत प्रभावी पद्धति में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मांग को पूरा करने के लिए कोयले की उपलब्धता प्राप्त करना।

लक्ष्य

(1) उत्पादकता, सुरक्षा, गुणवता तथा पारिस्थितिकी के उद्देश्य से अत्याधुनिक एवं स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को अपना कर सरकारी कंपनियों के साथ-साथ केप्टिव खनन मार्ग से उत्पादन को बढ़ाना।

(2) प्रमाणित संसाधनों पर बल देते हुए अन्वेषण प्रयासों को बढ़ाकर संसाधन आधार में वृद्धि करना।

(3) कोयले की तत्काल निकासी के लिए आवश्यक अवसंरचना के विकास को सुविधाजनक बनाना।

उद्देश्य

1 कोयला उत्पादन तथा उठान, लिग्नाइट उत्पादन तथा विद्युत उत्पादन के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना (एनएलसी)।

2 कैप्टिव ब्लाकों से विकास एवं उत्पादन को आसान बनाना ।

3 कैप्टिव कोयला ब्लाकों के आबंटन के लिए चयन प्रक्रिया के रूप में प्रतिस्पर्धी बोली शुरू करना ।

4 नए कोयला ब्लाकों की पहचान करना ।

5 विनियमित विद्युत उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करना ।

6 यह सुनिश्चित करना कि कोयला कंपनियां एफएसए व्यवस्था के अंतर्गत सभी संबद्ध उपभोक्ताओं को लाए ।

7 मौजूदा उपभोक्ताओं के लिए ढुलाई लागत कम करने के उद्देश्य से कोयला आपूर्ति की मौजूदा स्रोतों को युक्तिसंगत बनाने पर विचार करना ।

8 कोलफील्ड क्षेत्रों में रेल एवं सड़क अवसंरचना विकास का कार्यान्वयन ।

9 कोयला एवं लिग्नाइट ब्लाकों की खनन योजना बनाने के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित करना ।

10 प्रमाणित भंडारों को बढ़ाने के लिए विस्तृत ड्रिलिंग पर बल।

11 झरिया एवं रानीगंज मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की मानीटरिंग ।

12 कोयला ढुलाई की क्षमता में वृद्धि करना ।

13 खानों में नई प्रौद्योगिकी शुरू करना ।

14 भूमिगत खानों का सुरक्षा पहलू ।

15 दुर्घटनाओं से बचने के लिए डंपर आपरेटर के ड्राइविंग कौशल में सुधार लाने के लिए ओपन कास्ट खानों का सुरक्षा पहलू।

16 कोयला क्षेत्र के लिए स्वतंत्र विनियामक की स्थापना ।

17 कोयला एवं लिग्नाइट पर रायल्टी दरों में संशोधन ।

18 कैप्टिव ब्लाकों से अतिरिक्त कोयला एवं वाशरी अपशिष्टों के उपयोग संबंधी नीति कार्यान्वित करना ।

कोयला मंत्रायल का परिणाम - ढांचा संबंधी दस्तावेज (2011-12)

खण्ड 1:
दृष्टिकोण, लक्ष्य, उद्देश्य तथा कार्य

19 भूमिगत एवं ओपनकास्ट खनन के लिए अलग-अलग उत्पादन व्यक्ति प्रति मानक पाली (ओएमएस) की उत्पादकता में वृद्धि ।

20 बेंच मार्किंग सहित उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाना ।

21 व्यापक कोयला परिषकरण नीति बनाना ।

22 उन्नत एकीकृत सुरक्षा मानीटरिंग प्रणाली लागू करना।

23 कोलियरियों में अन्वेषण के लिए क्षमता में वृद्धि तथा संसाधनों का प्रमाणन ।

कार्य

1 भारत में कोयले तथा लिग्नाइट के अन्वेषण, विकास एवं उपयोग को सुविधाजनक बनाना।

2 कोयले का उत्पादन तथा वितरण से संबंधित सभी मामले।

3 कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973, खान तथा खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1987, कोयलाधारी क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम, 1957, कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम, 1974 और कोयला एवं लिग्नाइट तथा रेत भरायी, ऐसे प्रशासन के लिए प्रासंगिक कार्य से संबंधित अन्य संघीय कानूनों का प्रशासन।

कोयला मंत्रायल का परिणाम - ढांचा संबंधी दस्तावेज (2011-12)

खण्ड 2:
मुख्य उद्देश्यों, सफल संकेतकों तथा लक्ष्यों के बीच पारस्परिक प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	ईकाई	भार	लक्ष्य/मानदंड मान				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीकठाक	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
[1]कोयला उत्पादन तथा उठान, लिग्नाइट उत्पादन तथा विद्युत उत्पादन के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना (एनएलसी)	12.00	(1.1) पीएसयू के लिए तिमाही समीक्षा बैठकें करना। पीएसयू की सहायता के लिए संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के साथ उनकी कठिनाइयों/समस्याओं से निपटने में सहायता करनाः (क) पर्यावरण तथा वन मंत्रालय से संबंधित मसलों का समाधान निकालने के लिए पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के साथ बैठक करना। (ख) कोयला परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण तथा पर्यावरण एवं वन अनुमोदन में शीघ्रता लाने के लिए कोयला उत्पादन राज्यों के साथ बैठकें करना।	(1.1.1) कोल इंडिया लि. द्वारा कोयला उत्पादन लक्ष्यों के लिए समझौता ज्ञापन की उपलब्धि (लक्ष्य 2011-12- 452 मि.ट.)	लक्ष्य का %	5.00	100	97	94	91	88
			(1.2.1) कोल इंडिया लि. द्वारा कोयला उठान लक्ष्य के समझौता ज्ञापन की उपलब्धि (लक्ष्य 2011-12 - 454 मि.ट.)	लक्ष्य का %	3.00	100	97	94	91	88
			(1.3.1) एनएलसी द्वारा लिग्नाइट उत्पदान के लक्ष्य की उपलब्धि (लक्ष्य 2011-12- 24.14 मि.ट.)	लक्ष्य का %	2.00	100	97	94	91	88
			(1.4.1) एनएलसी द्वारा विद्युत उत्पादन के लक्ष्य की उपलब्धि (लक्ष्य 2011-12- 18758 मि.ट.)	लक्ष्य का %	2.00	100	97	94	91	88

खण्ड 2:

मुख्य उद्देश्यों, सफल संकेतकों तथा लक्ष्यों के बीच पारस्परिक प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	ईकाई	भार	लक्ष्य/मानदंड मान				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीकठाक	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
(2) कैप्टिव ब्लाकों से विकास एवं उत्पादन को आसान बनाना ।	8.00	(2.1) अपर सचिव के स्तर पर अर्द्धवार्षिक की समीक्षा बैठक करना।	(2.1.1) 2011-12 की वार्षिक योजना के अनुसार 38.25 मि.ट. के उत्पादन लक्ष्य की उपलब्धि	लक्ष्य का %	3.00	100	97	94	91	88
		(2.2) 90 दिनों के भीतर खान योजना अनुमोदन से अवगत कराना।	(2.2.1) 90 दिनों के भीतर खान योजना अनुमोदन का %	लक्ष्य का %	2.50	100	97	94	91	88
		(2.3) 45 दिनों के भीतर खनन पट्टे के पूर्व अनुमोदन की स्वीकृति	(2.3.1) 45 दिनों के भीतर मंजूर खनन पट्टे का %	लक्ष्य का %	2.50	100	97	94	91	88
(3) कैप्टिव कोयला ब्लाकों के आबंटन के लिए चयन प्रक्रिया के रूप में प्रतिस्पर्धी बोली शुरू करना ।	3.00	(3.1) संसद द्वारा विधेयक पारित कर दिया गया है तथा उसे 9 सितम्बर, 2010 को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम के अधीन नियमों को तैयार करने का कार्य पूरा किया जाना है।	(3.1.1) 30.09.2011 तक नियम अधिसूचित किए जाने हैं।	तारीख	3.00	30/09/2011	31/10/2011	30/11/2011	31/12/2011	31/01/2012
(4)नए कोयला ब्लाकों की पहचान करना ।	5.00	(4.1) पहचान किए गए कोयला ब्लॉकों की पहचान करना तथा उनको निर्धारित करना।	(4.1.1) 31.12.2011 तक	तारीख	2.50	31/12/2011	10/01/2012	20/01/2012	30/01/2012	10/02/2012
		(4.2) सीआईएल को कोयला ब्लॉकों का आबंटन	(4.2.1) 29.2.2012 तक	तारीख	2.50	29/02/2012	07/03/2012	15/03/2012	23/03/2012	31/03/2012
(5) विनियमित विद्युत उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करना ।	4.00	(5.1) जेएस(एलए) द्वारा सभी कोयला कंपनियों के साथ तिमाही समीक्षा बैठक आयोजित करना।	(5.1.1) वार्षिक संविदात्मक आपूर्ति सुनिश्चित करना (लक्ष्य 2011-12-335 मि.ट.)	एसीक्यू का %	4.00	100	97	94	91	88

खण्ड 2:

मुख्य उद्देश्यों, सफल संकेतकों तथा लक्ष्यों के बीच पारस्परिक प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	ईकाई	भार	लक्ष्य/मानदंड मान				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीकठाक	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
(6) यह सुनिश्चित करना कि कोयला कंपनियां एफएसए व्यवस्था के अंतर्गत सभी संबद्ध उपभोक्ताओं को लाए ।	5.00	(6.1) जेएस(एलए) द्वारा सभी कोयला कंपनियों के साथ तिमाही समीक्षा बैठक आयोजित करना।	(6.1.1)इस बात को सुनिश्चित करन कि सभी उपभोक्ता जो एलओए के अनुसार उपलब्धि हासिल कर लेते हैं, वे 31.12.2011 तक एफएसए संपन्न कर लें।	तारीख	5.00	31/12/2011	15/01/2012	31/01/2012	15/02/2012	29/02/2012
(7) मौजूदा उपभोक्ताओं के लिए ढुलाई लागत कम करने के उद्देश्य से कोयला आपूर्ति की मौजूदा स्रोतों को युक्तिसंगत बनाने पर विचार करना ।	5.00	(7.1) जेएस(एलए) की अध्यक्षता में अन्तर मंत्रालयी कार्य दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना और कार्यबल की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना।	(7.1.1) 30.09.2011 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।	तारीख	2.50	30/09/2011	15/10/2011	31/10/2011	15/11/2011	30/11/2011
			(7.1.2) 31.12.2011 तक सिफारिशों का कार्यान्वयन	तारीख	2.50	31/12/2011	15/01/2012	31/01/2012	15/02/2012	29/02/2012
(8) कोलफील्ड क्षेत्रों में रेल एवं सड़क अवसंरचना विकास का कार्यान्वयन ।	2.50	(8.1) संभावित कोलफील्डों में क्रिटिकल रेल तथा सड़क संपर्कों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा वे संभावित कोलफील्ड जिनमें भावी उत्पादन में योगदान देने की उम्मीद है वे हैं झारखंड में नार्थ करनपुरा, छत्तीसगढ़ में मांड-रायगढ़ कोलफील्ड, उड़ीसा में तालचर तथा ईब घाटी और आन्ध्र प्रदेश में सत्तुपल्ली कोलफील्ड।	(8.1.1) वर्ष के दौरान उच्चस्तरीय समिति की बैठक का आयोजन	बैठकों की संख्या	2.50	2	1	0	0	0

खण्ड 2:
मुख्य उद्देश्यों, सफल संकेतकों तथा लक्ष्यों के बीच पारस्परिक प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	ईकाई	भार	लक्ष्य/मानदंड मान				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीकठाक	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
		नार्थ करनपुरा कोलफील्ड में तोरी-शिवपुर-हजारीबाग नया रेल संपर्क (92 कि.मी.), मांड रायगढ़ कोलफील्ड में भूपदेवपुर-बड़ोद-दुर्गापुर रेल लाइन (91 कि.मी.), तालचर कोलफील्ड में समर्पित रेल कोरीडोर-I जो केप्टिव ब्लॉकों से होकर जारापाडा-तालचर (87 कि.मी.) को जोड़ती है, रेल कोरिडोर-II जो राधिकापुर वेस्ट ब्लॉक-अंगुल (50 कि.मी.) को जोड़ती है, रेल कोरिडोर-III जो अंगुल-तालचर (40 कि.मी.) को जोड़ती है; भाद्रक से होकर तालचर-धर्म्रा पोर्ट को जोड़ने वाला रेल संपर्क (150 कि.मी.), ईब घाटी कोलफील्ड में गोपालपुर-मनोहरपुर ट्रेक जो बरपल्ली-झरसुगुडा (52 कि.मी.) को जोड़ती है तथा सत्तुपल्ली-भद्राचलम रोड़ (80 कि.मी.) के बीच रेल संपर्क। प्रारंभ में इन रेल लाइनों पर एकल रेल लाइन के रूप में विचार किया गया था परन्तु प्रक्षेपित उत्पादन और निकासी की आवश्यकता को देखते हुए इन सभी लाइनों को कम से कम दोहरी लाइनें होनी हैं। कोयला मंत्रालय, सीआईएल और रेल मंत्रालय पिछले प्रस्तावों की लागत को अद्यतन करने पर चर्चा कर रहे हैं तथा जोनल रेलवे के परामर्शों से कोयला कंपनियों को लक्ष्य निर्धारित करने हैं।								

खण्ड 2:

मुख्य उद्देश्यों, सफल संकेतकों तथा लक्ष्यों के बीच पारस्परिक प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	ईकाई	भार	लक्ष्य/मानदंड मान				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीकठाक	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
(9) कोयला एवं लिग्नाइट ब्लाकों की खनन योजना बनाने के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित करना ।	2.50	(9.1) कोयला मंत्रालय की वेबसाइट पर दिशा-निर्देशों को रखना।	9.1.1 दिशा-निदेश 30.09.2011 तक जारी किए जाने हैं।	जारी करने की तारीख	2.50	30/09/2011	15/10/2011	31/10/2011	15/11/2011	30/11/2011
(10) प्रमाणित भंडारों को बढ़ाने के लिए विस्तृत ड्रिलिंग पर बल	7.50	(10.1) प्रगति की समीक्षा करने तथा उसकी निगरानी करने के लिए तिमाही बैठक आयोजित करना।	(10.1.1) सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजायन इंस्टीच्यूट रांची द्वारा विस्तृत ड्रिलिंग के लिए निर्धारित वार्षिक कार्य योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करना (एएपी लक्ष्य 2011-12 - 4.5 लाख मीटर)	लक्ष्य का %	7.50	100	97	94	91	88
(11) झरिया एवं रानीगंज मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की मानीटरिंग	3.00	(11.1) उच्च-स्तरीय समिति की बैठकों का आयोजन करके मास्टर प्लानके कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करना। महत्वपूर्ण लक्ष्यों में झरिया के मामले में खतरे वाले क्षेत्रों से लागों को भूली टाउनशिप में स्थानान्तरित करना, जनसांख्यिकी सर्वेक्षण को पूरा करना और झरिया तथा रानीगंज कोलफील्डों दोनों के मामले में भूमि का अधिग्रहण शामिल है। सतही अवसंरचना जैसे रेलवे, पाइपलाइनों आदि के परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण करना।	(11.1.1) वर्ष के दौरान कई बैठकें हुई।	बैठकों की संख्या	3.00	3	2	1	0	0

खण्ड 2:
मुख्य उद्देश्यों, सफल संकेतकों तथा लक्ष्यों के बीच पारस्परिक प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	ईकाई	भार	लक्ष्य/मानदंड मान				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीकठाक	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
(12) कोयला ढुलाई की क्षमता में वृद्धि करना।	3.00	(12.1) सीआईएल के साथ कार्य की प्रगति की समीक्षा करना	(12.1.1) सीआईएल द्वारा 6 नयी वाशरियों के लिए कार्य आदेश अवार्ड करने को सुनिश्चित करना।	वाशरियों की संख्या	3.00	6	5	4	3	2
(13) खानों में नई प्रौद्योगिकी शुरू करना ।	4.00	(13.1) सतत खनिक प्रौद्योगिकी के लिए मशीनरी की खरीद की निगरानी करना।	(13.1.1) समय पर उपकरणों की खरीदः सीआईएल द्वारा 6 सतत खनिक उपकरण।	संख्या	4.00	6	5	4	3	2
(14) भूमिगत खानों का सुरक्षा पहलू ।	4.00	(14.1) भूमिगत खनन में वायु-संचार हेतु क्रोमोटोग्राफों के समय पर खरीद की निगरानी करना।	(14.1.1) सीआईएल द्वारा 20 क्रोटोमोग्राफों की समय पर खरीद।	संख्या	4.00	20	17	14	11	8
(15) दुर्घटनाओं से बचने के लिए डंपर आपरेटर के ड्राइविंग कौशल में सुधार लाने के लिए ओपन कास्ट खानों का सुरक्षा पहलू ।	4.00	(15.1) डम्पर आपरेटरों के प्रशिक्षण के लिए सेमूलेटरों की खरीद की निगरानी करना।	(15.1.1) डम्पर आपरेटरों के प्रशिक्षण हेतु 7 सेमुलेटरों की समय पर खरीद।	संख्या	4.00	7	6	5	4	3
(16) कोयला क्षेत्र के लिए स्वतंत्र विनियामक की स्थापना।	2.50	(16.1) मंत्रिमंडल सचिवालय को केबिनेट नोट प्रस्तुत करना।	(16.1.1) अंतिम प्रारूप नोट तथा विधेयक 31.07.2011 तक कोयला मंत्री के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाना है।	तारीख	1.25	31/07/2011	31/08/2011	30/09/2011	31/10/2011	30/11/2011

खण्ड 2:
मुख्य उद्देश्यों, सफल संकेतकों तथा लक्ष्यों के बीच पारस्परिक प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	ईकाई	भार	लक्ष्य/मानदंड मान				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीकठाक	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
			(16.2.1) अंतिम केबिनेट नोट तथा प्रारूप विधेयक 30.09.2011 तक मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा जाना है।	तारीख	1.25	30/09/2011	31/10/2011	30/11/2011	31/12/2011	31/01/2012
(17) कोयला एवं लिग्नाइट पर रायल्टी दरों में संशोधन	4.00	(17.1) स्टेकधारियों के साथ अध्ययन दल की बैठक का आयोजन। प्रारूप केबिनेट नोट को परिचालित करना।	(17.1.1) 31.1.2012 तक संशोधित रायल्टी की दरों को अधिसूचित किया जाना है।	तारीख	4.00	31/01/2012	15/02/2012	29/02/2012	15/03/2012	31/03/2012
(18) कैप्टिव ब्लाकों से अतिरिक्त कोयला एवं वाशरी अपशिष्टों के उपयोग संबंधी नीति कार्यान्वित करना ।	1.00	(18.1) नीति को अंतिम रूप देना तथा प्रकाशित करना।	(18.1.1) 30.11.2011 तक नीति का प्रकाशन।	तारीख	1.00	30/11/2011	31/12/2011	31/01/2012	29/02/2012	31/03/2012
(19) भूमिगत एवं ओपनकास्ट खनन के लिए अलग-अलग उत्पादन प्रति व्यक्ति प्रति पाली (ओएमएस) की उत्पादकता में वृद्धि ।	1.00	(19.1) ओएमएस की उपलब्धि की निगरानी	(19.1.1) भूमिगत खानों के लिए ओएमएस-0.8 टन।	टन	0.50	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4
			(19.2.1) ओपनकास्ट खानों के लिए ओएमएस-10 टन	टन	0.50	10	9	8	7	6
(20) बेंच मार्किंग सहित उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाना ।	1.00	(20.1) कोयला उत्पादन के लिए भूमिगत तथा ओपनकास्ट प्रचालनों दोनों हेतु अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपना कर प्रौद्योगिकी विकास पर बल देना। उच्च क्षमता वाले शावेलों तथा डम्परों की खरीद। अनुषंगी समेलित उपकरणों के साथ सतही खनिकों आदि की खरीद और ओपनकास्ट खानों के लिए कोयला रखरखाव सुविधाओं की आयोजना की गई हैं। इसी प्रकार नयी खानें खोलना, सतत खनिकों तथा लांगवाल उपकरणों आदि जैसे अत्यधिक उत्पादन वाली प्रौद्योगिकियों को तैनात करना एवं सतत खनिकों, साइड डिस्चार्ज लोडरों तथा लोड हाल डम्परों और उन भूमिगत खानों जहां कहीं अगले पांच वर्षों में 44 मि.ट. से 65 मि.ट. भूमिगत उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनीकृत करने के लिए कन्वेयरों की आयोजना की गई हैं तथा उसे कार्यान्वित किया जा रहा है।	(20.1.1) 31.12.2011 तक कार्य योजना तैयार करना।	तारीख	1.00	31/12/2011	15/01/2012	31/01/2012	15/02/2012	29/02/2012

खण्ड 2:

मुख्य उद्देश्यों, सफल संकेतकों तथा लक्ष्यों के बीच पारस्परिक प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	ईकाई	भार	लक्ष्य/मानदंड मान				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीकठाक	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
(21) व्यापक कोयला परिषकरण नीति बनाना ।	1.00	(21.1) यह नीति मुख्यतःतापीय विद्युत के लिए घुले हुए कोयले की उपलब्धता में वृद्धि करने को सुविधाजनक बनाना तथा बहूमूल्य कोयला संसाधनों को संरक्षित करने की दृष्टि से धुलाई की तकनीकी व्यवहार्यता की जांच करना। सीआईएल ने पिछले ही मौजूदा उत्पादन की धुलाई के लिए कुल 111 मि.ट. की क्षमता हेतु 20 नयी वाशरियों की स्थापना करने के लिए 12वीं योजना के अंत तक कार्रवाई कर दी है तथा जहां कहीं 2.5 मि.ट. प्रति वर्ष तथा उससे अधिक की क्षमता की ओपनकास्ट खानें प्रस्तावित करने का प्रस्ताव है, एकीकृत वाशरियां विकसित करने का निर्णय लिया गया है।	(21.1.1) 31.12.2011 तक व्यापक कोयला परिष्करण नीति तैयार करना।	तारीख	1.00	31/12/2011	15/01/2012	31/01/2012	15/02/2012	29/02/2012

खण्ड 2:

मुख्य उेद्दश्येंा, सफल संकेतकों तथा लक्ष्यों के बीच पारस्परिक प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	ईकाई	भार	लक्ष्य/मानदंड मान				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीकठाक	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
(22) उन्नत एकीकृत सुरक्षा मानीटरिंग प्रणाली लागू करना।	1.00	(22.1) ओपनकास्ट प्रचालनों की सुरक्षा में सुधार लाने के लिए गैस क्रोमोटोग्राफों की तैनाती, रूफ मूवमेंट की निगरानी के लिए सेन्सरों की संस्थापना, ट्रेपड खनिकों की पहचान करने के लिए रेडियों फ्रिक्यंसी डिक्टेटरों की संस्थापना, वायरलेस संचार प्रणाली आदि की आयोजना की गई है। इसी प्रकार, ओपनकास्ट प्रचालनों के लिए बैंच स्लोप स्थिरता की निगरानी के लिए सेटेलाइट निगरानी के माध्यम से डम्परों की आवाजाही प्रस्तावित कुछ उपायों में से हैं।	(22.1.1) 31.12.2011 तक रिमोट कंट्रोल अन्य उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए उन्नत एकीकृत सुरक्षा निगरानी प्रणालियों को लागू करने हेतु कार्य योजना तैयार करना।	तारीख	1.00	31/12/2011	15/01/2012	31/01/2012	15/02/2012	29/02/2012

खण्ड 2:
मुख्य उद्देश्यों, सफल संकेतकों तथा लक्ष्यों के बीच पारस्परिक प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	ईकाई	भार	लक्ष्य/मानदंड मान				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीकठाक	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
(23) कोलियरियों में अन्वेषण के लिए क्षमता में वृद्धि तथा संसाधनों का प्रमाणन ।	1.00	(23.1) सीएमपीडीआईएल की ड्रिलिंग क्षमता को 2 से 4 लाख मीटर प्रति वर्ष तक करके दुगना करने की योजना है और अतिरिक्त कार्य ड्रिलिंग प्रचालनों को आउटसोर्स द्वारा पूरा कराए जाने की योजना बनाई गई है। केप्टिव ब्लॉक धारियों को भी एमओसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्वेषण कार्य स्वयं पूरा करने को अनुमति दी गई है।	(23.1.1) अन्वेषण की क्षमता बढ़ाने तथा देश से 31.12.2011 तक संसाधन प्रमाणित करने की कार्य योजना का निर्माण	तारीख	1.00	31/12/2011	15/01/2012	31/01/2012	15/02/2012	29/02/2012
आरएफडी प्रणाली का कुशल कार्यकरण	3.00	अनुमोदन के लिए प्रारूप को समय पर प्रस्तुत करना	एक बारगी प्रस्तुतीकरण	तारीख	2.00	07/03/2011	08/03/2011	09/03/2011	10/03/2011	11/03/2011
		परिणामों को समय पर प्रस्तुत करना	एक बारगी प्रस्तुतीकरण	तारीख	1.00	01/05/2012	03/05/2012	04/05/2012	05/05/2012	06/05/2012
मंत्रालय/विभाग की आंतरिक कुशलता/प्रभावनीयता/सेवा डिलीवरी को प्रौन्नत करना	10.00	सेवोत्तम का कार्यान्वयन	नागरिकों/क्लाइन्ट्स चार्टर के संशोधित प्रारूप को पुनः प्रस्तुत करना	तारीख	2.00	16/01/2012	18/01/2012	20/01/2012	23/01/2012	25/01/2012
		सेवोत्तम का कार्यान्वयन	शिकायतों के निपटान तंत्र के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा-परीक्षा	%	2.00	100	90	80	70	60
		आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) का अनुपालन सुनिश्चित करना।	उन मदों की संख्या, जिन पर सूचना 10 फरवरी, 2012 तक अपलोड की जाती है।	संख्या	2.00	16	15	14	13	12
		विभागीय कार्यकलापों से संबंधित भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्र की पहचान करना तथा उन्हें कम करने की कार्य योजना विकसित करना।	भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्रों को कम करने के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप देना	तारीख	2.00	26/03/2012	27/03/2012	28/03/2012	29/03/2012	30/03/2012

खण्ड 2:

मख्य उद्देश्यों सफल संकेतकों तथा लक्ष्यों के बीच पारस्परिक प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	ईकाई	भार	लक्ष्य/मानदंड मान				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीकठाक	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
		आईएसओ 9001 प्रमाणन को कार्यान्वित करने की एक कार्य योजना विकसित करना।	आईएसओ 9001 प्रमाणन को कार्यान्वित करने की योजना को अंतिम रूप देना।	तारीख	2.00	16/04/2012	17/04/2012	18/04/2012	19/04/2012	20/04/2012
*वित्तीय उत्तरदायित्व ढांचे का अनुपालन सुनिश्चित करना	2.00	सीएजी के आडिट पैराओं पर एटीएनएस को समय पर प्रस्तुत करना।	वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा संसद के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से निर्धारित तारीख (4 माह) के अंदर प्रस्तुत एटीएनएस की प्रतिशतता	%	0.50	100	90	80	70	60
		पीएसपी रिपोर्टों पर पीएसी सचिवालय को एटीआर समय पर प्रस्तुत करना।	वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा संसद के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से निर्धारित तारीख (6 माह) के अंदर प्रस्तुत एटीएनएस की प्रतिशतता	%	0.50	100	90	80	70	60
		31.3.2011 से पूर्व संसद के समक्ष प्रस्तुत सी एंड जीए रिपोर्टों के आडिट पैराओं पर लंबित एटीएन शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए शेष एटीएन की प्रतिशतता	%	0.50	100	90	80	70	60
		31.3.2011 से पूर्व संसद के समक्ष प्रस्तुत पीएसी रिपोर्टों पर लंबित एटीआर का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए शेष एटीआर की प्रतिशतता	%	0.50	100	90	80	70	60

*अनिवार्य लक्ष्य

खण्ड 3:
सफल संकेतकों का प्रवृत्ति मान

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	ईकाई	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 09/10	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष10/11	लक्षित मूल्य वित्तीय वर्ष11/12	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य
[1] कोयला उत्पादन तथा उठान, लिग्नाइट उत्पादन तथा विद्युत उत्पादन के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना (एनएलसी)	(1.1) पीएसयू के लिए तिमाही समीक्षा बैठकें करना। पीएसयू की सहायता के लिए संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के साथ उनकी कठिनाइयों/समस्याओं से निपटने में सहायता करना: (क) पर्यावरण तथा वन मंत्रालय से संबंधित मसलों का समाधान निकालने के लिए पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के साथ बैठक करना। (ख) कोयला परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण तथा पर्यावरण एवं वन अनुमोदन में शीघ्रता लाने के लिए कोयला उत्पादन राज्यों के साथ बैठकें करना।	(1.1.1) कोल इंडिया लि. द्वारा कोयला उत्पादन लक्ष्यों के लिए समझौता ज्ञापन की उपलब्धि (लक्ष्य 2011-12-452 मि.ट.)	लक्ष्य का %	431.26		97		
		(1.1.2) कोल इंडिया लि. द्वारा कोयला उठान लक्ष्य के समझौता ज्ञापन की उपलब्धि (लक्ष्य 2011-12 - 454 मि.ट.)	लक्ष्य का %	415.88		97		
		(1.1.3) एनएलसी द्वारा लिग्नाइट उत्पदान के लक्ष्य की उपलब्धि (लक्ष्य 2011-12-24.14 मि.ट.)	लक्ष्य का %	22.33		97	26.02	

खण्ड 3:
सफल संकेतकों का प्रवृत्ति मान

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	ईकाई	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 09/10	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष10/11	लक्षित मूल्य वित्तीय वर्ष11/12	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य
		(1.1.4) एनएलसी द्वारा विद्युत उत्पादन के लक्ष्य की उपलब्धि (लक्ष्य 2011-12- 18758 मि.ट.)	लक्ष्य का %	17665		97	25147	
(2) कैप्टिव ब्लाकों से विकास एवं उत्पादन को आसान बनाना ।	(2.1) अपर सचिव के स्तर पर अर्द्धवार्षिक की समीक्षा बैठक करना।	(2.1.1) 2011-12 की वार्षिक योजना के अनुसार 38.25 मि.ट. के उत्पादन लक्ष्य की उपलब्धि	लक्ष्य का %	35.03		97		
	(2.2) 90 दिनों के भीतर खान योजना अनुमोदन से अवगत कराना।	(2.2.1) 90 दिनों के भीतर खान योजना अनुमोदन का %	लक्ष्य का %	100		97	100	
	(2.3) 45 दिनों के भीतर खनन पट्टे के पूर्व अनुमोदन की स्वीकृति	(2.3.1) 45 दिनों के भीतर मंजूर खनन पट्टे का %	लक्ष्य का %	100		97	100	
(3) कैप्टिव कोयला ब्लाकों के आबंटन के लिए चयन प्रक्रिया के रूप में प्रतिस्पर्धी बोली शुरू करना ।	(3.1) संसद द्वारा विधेयक पारित कर दिया गया है तथा उसे 9 सितम्बर, 2010 को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम के अधीन नियमों को तैयार करने का कार्य पूरा किया जाना है।	(3.1.1) 30.09.2011 तक नियम अधिसूचित किए जाने हैं।	तारीख			31/10/2011		
(4)नए कोयला ब्लाकों की पहचान करना ।	(4.1) पहचान किए गए कोयला ब्लॉकों की पहचान करना तथा उनकों निर्धारित करना।	(4.1.1) 31.12.2011 तक	तारीख			10/01/2012		
	(4.2) सीआईएल को कोयला ब्लॉकों का आबंटन	(4.2.1) 29.2.2012 तक	तारीख			07/03/2012		

खण्ड 3:
सफल संकेतकों का प्रवृत्ति मान

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	ईकाई	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 09/10	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष10/11	लक्षित मूल्य वित्तीय वर्ष11/12	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य
(5) विनियमित विद्युत उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करना ।	(5.1) जेएस(एलए) द्वारा सभी कोयला कंपनियों के साथ तिमाही समीक्षा बैठक आयोजित करना।	(5.1.1) वार्षिक संविदात्मक आपूर्ति सुनिश्चित करना (लक्ष्य 2011-12-335 मि.ट.)	एसीक्यू का %			97		
(6) यह सुनिश्चित करना कि कोयला कंपनियां एफएसए व्यवस्था के अंतर्गत सभी संबद्ध उपभोक्ताओं को लाए।	(6.1) जेएस(एलए) द्वारा सभी कोयला कंपनियों के साथ तिमाही समीक्षा बैठक आयोजित करना।	(6.1.1)इस बात को सुनिश्चित करन कि सभी उपभोक्ता जो एलओए के अनुसार उपलब्धि हासिल कर लेते हैं, वे 31.12.2011 तक एफएसए संपन्न कर लें।	तारीख			15/01/2012		
(7) मौजूदा उपभोक्ताओं के लिए ढुलाई लागत कम करने के उद्देश्य से कोयला आपूर्ति की मौजूदा स्रोतों को युक्तिसंगत बनाने पर विचार करना ।	(7.1) जेएस(एलए) की अध्यक्षता में अन्तर मंत्रालयी कार्य दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना और कार्यबल की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना।	(7.1.1) 30.09.2011 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।	तारीख			15/10/2011		
		(7.1.2) 31.12.2011 तक सिफारिशों का कार्यान्वयन	तारीख			15/01/2012		
(8) कोलफील्ड क्षेत्रों में रेल एवं सड़क अवसंरचना विकास का कार्यान्वयन ।	(8.1) संभावित कोलफील्डों में क्रिटिकल रेल तथा सड़क संपर्कों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा	(8.1.1) वर्ष के दौरान उच्चस्तरीय समिति की बैठक का आयोजन	बैठकों की संख्या			1		

खण्ड 3:
सफल संकेतकों का प्रवृत्ति मान

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता का सकतक	इकाइ	वास्तावक मूल्य वित्तीय वर्ष 09/10	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष10/11	लक्षित मूल्य वित्तीय वर्ष11/12	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य
	वे संभावित कोलफील्ड जिनमें भावी उत्पादन में योगदान देने की उम्मीद है वे हैं झारखंड में नार्थ करनपुरा, छत्तीसगढ़ में मांड-रायगढ़ कोलफील्ड, उड़ीसा में तालचर तथा ईब घाटी और आन्ध्र प्रदेश में सत्तुपल्ली कोलफील्ड। नार्थ करनपुरा कोलफील्ड में तोरी-शिवपुर-हजारीबाग नया रेल संपर्क (92 कि.मी.), मांड रायगढ़ कोलफील्ड में भूपदेवपुर-बड़ोद-दुर्गापुर रेल लाइन (91 कि.मी.), तालचर कोलफील्ड में समर्पित रेल कोरीडोर-I जो केप्टिव ब्लॉकों से होकर जारापाडा-तालचर (87 कि.मी.) को जोड़ती है, रेल कोरिडोर-II जो राधिकापुर वेस्ट ब्लॉक-अंगुल (50 कि.मी.) को जोड़ती है, रेल कोरिडोर-III जो अंगुल-तालचर (40 कि.मी.) को जोड़ती है; भाद्रक से होकर तालचर-धर्म्रा पोर्ट को जोड़ने वाला रेल संपर्क (150 कि.मी.), ईब घाटी कोलफील्ड में गोपालपुर-मनोहरपुर ट्रेक जो बरपल्ली-झरसुगुडा (52 कि.मी.) को जोड़ती है तथा सत्तुपल्ली-भद्राचलम रोड़ (80 कि.मी.) के बीच रेल संपर्क।							

खण्ड 3:
सफल संकेतकों का प्रवृत्ति मान

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	ईकाई	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 09/10	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष10/11	लक्षित मूल्य वित्तीय वर्ष11/12	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य
	प्रारंभ में इन रेल लाइनों पर एकल रेल लाइन के रूप में विचार किया गया था परन्तु प्रक्षेपित उत्पादन और निकासी की आवश्यकता को देखते हुए इन सभी लाइनों को कम से कम दोहरी लाइनें होनी हैं। कोयला मंत्रालय, सीआईएल और रेल मंत्रालय पिछले प्रस्तावों की लागत को अद्यतन करने पर चर्चा कर रहे हैं तथा जोनल रेलवे के परामर्शों से कोयला कंपनियों को लक्ष्य निर्धारित करने हैं।					1		
(9) कोयला एवं लिग्नाइट ब्लाकों की खनन योजना बनाने के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित करना ।	(9.1) कोयला मंत्रालय की वेबसाइट पर दिशा-निर्देशों को रखना।	9.1.1 दिशा-निदेश 30.09.2011 तक जारी किए जाने हैं।	जारी करने की तारीख			15/10/2011		
(10) प्रमाणित भंडारों को बढ़ाने के लिए विस्तृत ड्रिलिंग पर बल	(10.1) प्रगति की समीक्षा करने तथा उसकी निगरानी करने के लिए तिमाही बैठक आयोजित करना।	(10.1.1) सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजायन इंस्टीच्यूट रांची द्वारा विस्तृत ड्रिलिंग के लिए निर्धारित वार्षिक कार्य योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करना (एएपी लक्ष्य 2011-12-4.5 लाख मीटर)	लक्ष्य का %			97		

खण्ड 3:
सफल संकेतकों का प्रवृत्ति मान

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	ईकाई	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 09/10	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष10/11	लक्षित मूल्य वित्तीय वर्ष11/12	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य
(11) झरिया एवं रानीगंज मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की मानीटरिंग	(11.1) उच्च-स्तरीय समिति की बैठकों का आयोजन करके मास्टर प्लानके कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करना। महत्वपूर्ण लक्ष्यों में झरिया के मामले में खतरे वाले क्षेत्रों से लागों को भूली टाउनशिप में स्थानान्तरित करना, जनसांख्यिकी सर्वेक्षण को पूरा करना और झरिया तथा रानीगंज कोलफील्डों दोनों के मामले में भूमि का अधिग्रहण शामिल है। सतही अवसंरचना जैसे रेलवे, पाइपलाइनों आदि के परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण करना।	(11.1.1) वर्ष के दौरान कई बैठकें हुई।	बैठकों की संख्या			2		
(12) कोयला ढुलाई की क्षमता में वृद्धि करना।	(12.1) सीआईएल के साथ कार्य की प्रगति की समीक्षा करना	(12.1.1) सीआईएल द्वारा 6 नयी वाशरियों के लिए कार्य आदेश अवार्ड करने को सुनिश्चित करना।	वाशरियों की संख्या			5		
(13) खानों में नई प्रौद्योगिकी शुरू करना ।	(13.1) सतत खनिक प्रौद्योगिकी के लिए मशीनरी की खरीद की निगरानी करना।	(13.1.1) समय पर उपकरणों की खरीदः सीआईएल द्वारा 6 सतत खनिक उपकरण।	संख्या	0		5		
(14) भूमिगत खानों का सुरक्षा पहलू ।	(14.1) भूमिगत खनन में वायु-संचार हेतु क्रोमोटोग्राफों के समय पर खरीद की निगरानी करना।	(14.1.1) सीआईएल द्वारा 20 क्रोटोमोग्राफों की समय पर खरीद।	संख्या	0		17		

खण्ड 3:
सफल संकेतकों का प्रवृत्ति मान

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 09/10	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष10/11	लक्षित मूल्य वित्तीय वर्ष11/12	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य
(15) दुर्घटनाओं से बचने के लिए डंपर आपरेटर के ड्राइविंग कौशल में सुधार लाने के लिए ओपन कास्ट खानों का सुरक्षा पहलू ।	(15.1) डम्पर आपरेटरों के प्रशिक्षण के लिए सेमूलेटरों की खरीद की निगरानी करना।	(15.1.1) डम्पर आपरेटरों के प्रशिक्षण हेतु 7 सेमुलेटरों की समय पर खरीद।	संख्या	0		6		
(16) कोयला क्षेत्र के लिए स्वतंत्र विनियामक की स्थापना।	(16.1) मंत्रिमंडल सचिवालय को केबिनेट नोट प्रस्तुत करना।	(16.1.1) अंतिम प्रारूप नोट तथा विधेयक 31.07.2011 तक कोयला मंत्री के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाना है।	तारीख			31/08/2011		
		(16.1.2) अंतिम केबिनेट नोट तथा प्रारूप विधेयक 30.09.2011 तक मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा जाना है।	तारीख			31/10/2011		
(17) कोयला एवं लिग्नाइट पर रायल्टी दरों में संशोधन	(17.1) स्टेकधारियों के साथ अध्ययन दल की बैठक का आयोजन। प्रारूप केबिनेट नोट को परिचालित करना।	(17.1.1) 31.1.2012 तक संशोधित रायल्टी की दरों को अधिसूचित किया जाना है।	तारीख			15/02/2012		
(18) कैप्टिव ब्लाकों से अतिरिक्त कोयला एवं वाशरी अपशिष्टों के उपयोग संबंधी नीति कार्यान्वित करना ।	(18.1) नीति को अंतिम रूप देना तथा प्रकाशित करना।	(18.1.1) 30.11.2011 तक नीति का प्रकाशन।	तारीख			31/12/2011		
(19) भूमिगत एवं ओपनकास्ट खनन के लिए अलग-अलग उत्पादन प्रति व्यक्ति प्रति पाली (ओएमएस) की उत्पादकता में वृद्धि ।	(19.1) ओएमएस की उपलब्धि की निगरानी	(19.1.1) भूमिगत खानों के लिए ओएमएस-0.8 टन।	टन			0.7		
		(19.2.1) ओपनकास्ट खानों के लिए ओएमएस-10 टन	टन			9		

खण्ड 3:
सफल संकेतकों का प्रवृत्ति मान

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	ईकाई	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 09/10	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 10/11	लक्षित मूल्य वित्तीय वर्ष 11/12	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य
[20] Formulate action plan for increasing productivity, including bench-marking.	(20.1) कोयला उत्पादन के लिए भूमिगत तथा ओपनकास्ट प्रचालनों दोनों हेतु अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपना कर प्रौद्योगिकी विकास पर बल देना। उच्च क्षमता वाले शावेलों तथा डम्परों की खरीद। अनुषंगी समेलित उपकरणों के साथ सतही खनिकों आदि की खरीद और ओपनकास्ट खानों के लिए कोयला रखरखाव सुविधाओं की आयोजना की गई हैं। इसी प्रकार नयी खानें खोलना, सतत खनिकों तथा लांगवाल उपकरणों आदि जैसे अत्यधिक उत्पादन वाली प्रौद्योगिकियों को तैनात करना एवं सतत खनिकों, साइड डिस्चार्ज लोडरों तथा लोड हाल डम्परों और उन भूमिगत खानों जहां कहीं अगले पांच वर्षों में 44 मि.ट. से 65 मि.ट. भूमिगत उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनीकृत करने के लिए कन्वेयरों की आयोजना की गई हैं तथा उसे कार्यान्वित किया जा रहा है।	(20.1.1) 31.12.2011 तक कार्य योजना तैयार करना।	तारीख			15/01/2012		

खण्ड 3:
सफल संकेतकों का प्रवृत्ति मान

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	ईकाई	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 09/10	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 10/11	लक्षित मूल्य वित्तीय वर्ष 11/12	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य
(21) व्यापक कोयला परिषकरण नीति बनाना ।	(21.1) यह नीति मुख्यतःतापीय विद्युत के लिए घुले हुए कोयले की उपलब्धता में वृद्धि करने को सुविधाजनक बनाना तथा बहूमूल्य कोयला संसाधनों को संरक्षित करने की दृष्टि से धुलाई की तकनीकी व्यवहार्यता की जांच करना। सीआईएल ने पिछले ही मौजूदा उत्पादन की धुलाई के लिए कुल 111 मि.ट. की क्षमता हेतु 20 नयी वाशरियों की स्थापना करने के लिए 12वीं योजना के अंत तक कार्रवाई कर दी है तथा जहां कहीं 2.5 मि.ट. प्रति वर्ष तथा उससे अधिक की क्षमता की ओपनकास्ट खानें प्रस्तावित करने का प्रस्ताव है, एकीकृत वाशरियां विकसित करने का निर्णय लिया गया है।	(21.1.1) 31.12.2011 तक व्यापक कोयला परिष्करण नीति तैयार करना।	तारीख			15/01/2012		

खण्ड 3:
सफल संकेतकों का प्रवृत्ति मान

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	ईकाई	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 09/10	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 10/11	लक्षित मूल्य वित्तीय वर्ष 11/12	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य
(22) उन्नत एकीकृत सुरक्षा मानीटरिंग प्रणाली लागू करना।	(22.1) ओपनकास्ट प्रचालनों की सुरक्षा में सुधार लाने के लिए गैस क्रोमोटोग्राफों की तैनाती, रूफ मूवमेंट की निगरानी के लिए सेन्सरों की संस्थापना, ट्रेपड खनिकों की पहचान करने के लिए रेडियों फ्रिक्यंसी डिक्टेटरों की संस्थापना, वायरलेस संचार प्रणाली आदि की आयोजना की गई है। इसी प्रकार, ओपनकास्ट प्रचालनों के लिए बैंच स्लोप स्थिरता की निगरानी के लिए सेटेलाइट निगरानी के माध्यम से डम्परों की आवाजाही प्रस्तावित कुछ उपायों में से हैं।	(22.1.1) 31.12.2011 तक रिमोट कंट्रोल अन्य उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए उन्नत एकीकृत सुरक्षा निगरानी प्रणालियों को लागू करने हेतु कार्य योजना तैयार करना।	तारीख			15/01/2012		
(23) कोलियरियों में अन्वेषण के लिए क्षमता में वृद्धि तथा संसाधनों का प्रमाणन ।	(23.1) सीएमपीडीआईएल की ड्रिलिंग क्षमता को 2 से 4 लाख मीटर प्रति वर्ष तक करके दुगना करने की योजना है और अतिरिक्त कार्य ड्रिलिंग प्रचालनों को आउटसोर्स द्वारा पूरा कराए जाने की योजना बनाई गई है। केप्टिव ब्लॉक धारियों को भी एमओसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्वेषण कार्य स्वयं पूरा करने को अनुमति दी गई है।	(23.1.1) अन्वेषण की क्षमता बढ़ाने तथा देश से 31.12.2011 तक संसाधन प्रमाणित करने की कार्य योजना का निर्माण	तारीख			15/01/2012		

खण्ड 3:
सफल संकेतकों का प्रवृत्ति मान

*आरएफडी प्रणाली का कुशल कार्यकरण	अनुमोदन के लिए प्रारूप को समय पर प्रस्तुत करना	एक बारगी प्रस्तुतीकरण	तारीख	05/03/2010	27/11/2009	07/03/2011		
	परिणामों को समय पर प्रस्तुत करना	एक बारगी प्रस्तुतीकरण	तारीख	02/05/2011	30/04/2010			
मंत्रालय/विभाग की आंतरिक कुशलता/प्रभावनीयता/सेवा डिलीवरी को प्रौन्नत करना	सेवोत्तम का कार्यान्वयन सेवोत्तम का कार्यान्वयन	नागरिकों/क्लाइन्ट्स चार्टर के संशोधित प्रारूप को पुनः प्रस्तुत करना	तारीख					
		शिकायतों के निपटान तंत्र के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा-परीक्षा	%					
	आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) का अनुपालन सुनिश्चित करना।	उन मदों की संख्या, जिन पर सूचना 10 फरवरी, 2012 तक अपलोड की जाती है।	नहीं					
	विभागीय कार्यकलापों से संबंधित भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्र की पहचान करना तथा उन्हें कम करने की कार्य योजना विकसित करना।	भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्रों को कम करने के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप देना	तारीख					
	आईएसओ 9001 प्रमाणन को कार्यान्वित करने की एक कार्य योजना विकसित करना।	आईएसओ 9001 प्रमाणन को कार्यान्वित करने की योजना को अंतिम रूप देना।	तारीख					

*अनिवार्य लक्ष्य

खण्ड 3:
सफल संकेतकों का प्रवृत्ति मान

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	ईकाई	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 09/10	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 10/11	लक्षित मूल्य वित्तीय वर्ष 11/12	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य
*वित्तीय उत्तरदायित्व ढांचे का अनुपालन सुनिश्चित करना	सीएजी के आडिट पैराओं पर एटीएनएस को समय पर प्रस्तुत करना।	वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा संसद के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से निर्धारित तारीख (4 माह) के अंदर प्रस्तुत एटीएनएस की प्रतिशतता	%	0				
	पीएसपी रिपोर्टों पर पीएसी सचिवालय को एटीआर समय पर प्रस्तुत करना।	वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा संसद के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से निर्धारित तारीख (6 माह) के अंदर प्रस्तुत एटीएनएस की प्रतिशतता	%					
	31.3.2011 से पूर्व संसद के समक्ष प्रस्तुत सी एंड जीए रिपोर्टों के आडिट पैराओं पर लंबित एटीएन शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए शेष एटीएन की प्रतिशतता	%	0				
	31.3.2011 से पूर्व संसद के समक्ष प्रस्तुत पीएसी रिपोर्टों पर लंबित एटीआर का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए शेष एटीआर की प्रतिशतता	%					

*अनिवार्य लक्ष्य

कोयला मंत्रालय का परिणाम–ढांचा संबंधी दस्तावेज (2011–12)

खंड-4

सफल संकेतकों और प्रस्तावित माप कार्य प्रणाली की परिभाषा व विवरण

1. **विनियमित विद्युत संयंत्र :** केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीएसए) देश में 82 पावर यूटिलिटियों के संबंध में जो 77000 मे.वा.विद्युत उत्पादन करते हैं, की कोयला आपूर्ति व स्टाक स्थिति की निगरानी करता है ।

2. **एसीक्यू** :ईंधन आपूर्ति करार के अनुसार कोल इंडिया लि0(सीआईएल)/सिंगरेनी कोलियरी कं. लि. (एससीसीएल) द्वारा सहमत कोयले की आपूर्ति वार्षिक संविदा मात्रा है ।

3. **एसएलसी(एलटी):** स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घावधि), मंत्रालय समिति है, जो विद्युत, सीमेंट और स्पांज लौह सेक्टर के भावी उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति के लिए दीर्घ अवधि आश्वासन (एलओए) के लिए आवेदन पर विचार करती है ।

4. **उप-समूह :** कैबिनेट सचिवालय की अवसंरचना अवरोध समिति द्वारा गठित अंतर मंत्रालय निकाय है, जो विनियमित पावर यूटिलिटी में कोयला भण्डार व कोयला भण्डार में वृद्धि के लिए सुधारात्मक कदम व कोयला आपूर्ति को प्रभावित करने वाले अवसंरचनात्मक अवरोध को दूर करने के उपायों के सुझावों की निगरानी करेगी ।

5. **ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए)**:ईंधन आपूर्ति करार निर्धारित अवधि तक कोयले की आपूर्ति की संविदा है और यह कोयला कंपनी व कोयला उपभोक्ता के मध्य होता है ।

6. **वार्षिक कार्यवाई योजना लक्ष्य :** वित्त वर्ष के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक लक्ष्य ।

7. **स्वतंत्र कोयला विनियामक :** शंकर समिति व ऊर्जा समन्वय समिति द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार कोयला विनियामक प्राधिकरण गठन के लिए कार्रवाई शुरू की गई है व कोयले के लिए विनियामक निकाय गठित करने के लिए संसद द्वारा समुचित विधान पारित करने की आवश्यकता पड़ेगी । इस संबंध में काफी भूमिगत कार्य किया गया है । विभिन्न मंत्रालयों /विभागों के मत/ विचार के लिए, इस संदर्भ में, एक मसौदा कैबिनेट नोट और मसौदा बिल अग्रेषित किया गया है । संबंधित मंत्रालय/विभागों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं व ड्राफ्ट कैबिनेट नोट और ड्राफ्ट बिल को विधि व न्याय मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप दे दिया गया है । विनियामक कोयले क्षेत्र में सभी कंपनियों को समान अवसर प्रदान करेगा । इससे कोयले का आर्थिक मूल्यांकन निष्पादन स्तर के आदर्शों से जुड़े मामलों के तीव्र समाधान में सुविधा होगी ।

कोयला मंत्रालय का परिणाम–ढांचा संबंधी दस्तावेज (2011–12)

खंड-4

सफल संकेतकों और प्रस्तावित माप कार्य प्रणाली की परिभाषा व विवरण

8. **कोयले और लिग्नाइट पर रायल्टी दरें :** खनिज उपभोग व हटाने के लिए लेसर को लैसी को भुगतान की जाने वाली रकम रायल्टी होती है । खदान और खनिज (विकास व विनियम) अधिनियम की धारा 9(1) में अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में, विनिर्दिष्ट दर पर लिज क्षेत्र से हटाये या उपभोग किए गये किसी खनिज में संबंध में रायल्टी खदान लिज के धारक या उसके एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी, संविदाकर्त्ता या उप लैसी द्वारा भुगतान करना आवश्यक है । एमएमडीआर अधिनियम की धारा 9(3) केन्द्रीय सरकार को किसी भी खनिज के संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी करके रायल्टी दर बढ़ाने या घटाने को अधिकृत करती है जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दिनांक से प्रभावी होगी । अधिनियम की अनुसूची में संबंधित खनिज की रायल्टी दर विशेष प्रविष्टि में संशोधन करके समीक्षा की जा सकती है । धारा 9(3) का परन्तुक केन्द्र सरकार को पिछले 3 वर्ष में एक से अधिक बार किसी खनिज की रायल्टी दर को बढ़ाने से रोकता है । कोयले/लिग्नाइट पर रायल्टी की दर तय करने के लिए कोयला विभाग एक अध्ययन समूह गठित करता है, जिसका अध्यक्ष अतिरिक्त सचिव होता है । अध्ययन समूह सभी स्टेकधारियों से विचार-विमर्श करता है व उनके विचार लेते हैं । अर्थात उत्पादक राज्य, उपभोक्ता राज्य व उपभोक्ता क्षेत्र जैसे विद्युत, आयरन व स्टील, सीमेंट आदि । सभी स्टेकधारियों व अन्य संबंधित कारकों के मतों को ध्यान में रखते हुए, अध्ययन समूह प्रस्ताव का सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए सिफारिश करता है । पश्चातवर्ती निर्णय अधिसूचित होता है और रायल्टी की नई दरें ऐसी अधिसूचना की दिनांक से प्रभावी होगी ।

1971 में कोयले की रायल्टी दरें तय हुई थी, जो निम्न गुणवत्ता वाले कोयले के लिए रू. 1.5 प्रति टन से उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के लिए 2/- रू. प्रति टन है ।इसके बाद, कोयले की रायल्टी दरों की 5बार समीक्षा हुई अर्थात 1975, 1991, 1994 व 2002 जो 1981 में 2.50रू0 - 7.00रू0 से 2002 में 65- 250/- रू0 थी । तथापि, उपरोक्त दरें पश्चिम बंगाल पर लागू नहीं होगी, जहां पर 1981 की दरें, इस आधार पर जारी रहेंगी कि पश्चिम बंगाल ने कोयले पर सेस वसूली जारी रखी है, जो कि अन्य राज्यों ने वापस ले ली है । पश्चिम बंगाल सरकार 25% सेस वसूल कर रही है जबकि कोयले /लिग्नाइट के विभिन्न ग्रेड में समीक्षा दरों के अनुसार रायल्टी 11.08% से 18.84% की सीमा में थी जो कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वसूले गये सेस से काफी कम थी ।

कोयला मंत्रालय का परिणाम–ढांचा संबंधी दस्तावेज (2011–12)

खंड-4

सफल संकेतकों और प्रस्तावित माप कार्य प्रणाली की परिभाषा व विवरण

कोयले व लिग्नाइट पर 4.2.2010 को रायल्टी दरों पर समीक्षा पर नये अध्ययन समूह का एसएस(कोयला) की अध्यक्षता में गठन हुआ । 15.03.2010 को समिति ने अपनी बैठक में संबंधित विभाग/ संगठन के विचार/ मत प्रश्नावली पत्र में एकत्र किए जायेंगे । कुछ राज्य सरकार/संगठन/मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षा में है ।

कोयले व लिग्नाइट पर रायल्टी दरों की समीक्षा के लिए अध्ययन समूह की दूसरी बैठक अतिरिक्त सचिव(कोयला) की अध्यक्षता में 3.2.2011 को हुई । बैठक का सार संबंधित को वितरित कर दिये गये हैं । कोयला व लिग्नाइट पर रायल्टी दर की समीक्षा के लिए स्टेकधारियों के साथ अध्ययन समूह की अगली बैठक मार्च, 2011 के माह में तय होगी ।

9. **प्रमाणित रिजर्व** - बोरहोल से 200 मीटर तक की उचित दूरी के लिए विस्तार व विस्तृत खोज के लिए किए गए बोरहोल व आउटकोरप सुंरग खदान कार्यों से उपलब्ध डाटा के आधार पर अनुमानित रिजर्व को साबित श्रेणी में रखा गया है । प्रमाणित रिजर्व गहन ड्रिलिंग के आधार पर चिन्हित होते हैं ।

10. **निर्दिष्ट रिजर्वः** नियंत्रण बिन्दु से 200 मीटर में 1000 मीटर के प्रभावित क्षेत्र में क्षेत्रीय खोज द्वारा रिजर्व निर्धारण को, इस क्यू व आरएसक्यू श्रेणी में रखा गया है ।

11. **अनुमानित रिजर्वः** नियंत्रक बिन्दु से 2000 मीटर से 1000 मीटर के प्रभाव क्षेत्र से क्षेत्रीय खोज का रिजर्व निर्धारण इस क्यू इंगित व आरएसक्यू श्रेणी में रखा गया है ।

12. **स्वच्छ कोयला तकनीक :** स्वच्छ कोयला तकनीक (सीसीटी) एक छत्र शब्द है जो पर्यावरण पर कोयले प्रयोग को कम करने के उद्देश्य से तकनीकों को वर्णित करती है । सीसीटी में दानों, जलने से पूर्व व जलने के पश्चात तकनीकक शामिल है और कोयला मंत्रालय जलने से पूर्व जैसे कोयला वाशिंग कोयला बेड मीथेन/कोयला माइन मीथेन और भूमिगत कोयला गैसीकरण जैसी तकनीक से संबंधित है ।

13. **जारी माईनरः-** बड़े रीटेटर स्टील ड्रम वाली मशीन जो टगस्टन करबाइन दंत से युक्त है जिससे भूमिगत खदान से कोयले सीम से कोयला निकाला जाता है । यह अधिक उत्पादन मशीन है और मशीन द्वारा कोयला कट से कनेक्यटव शर्दल कार से परिवहन किया जाता है ।

कोयला मंत्रालय का परिणाम–ढांचा संबंधी दस्तावेज (2011–12)

खंड-4

सफल संकेतकों और प्रस्तावित माप कार्य प्रणाली की परिभाषा व विवरण

14. **डम्पर प्रचालकों के लिए सिमूलेटरः** यह बनावटी इंटलिजेंस सोफ्टवेयर व हार्डवेयर के बीच प्रबंध है जो हैवी अर्थ मूविंग डम्पर के प्रचालनों के प्रशिक्षण के लिए है ।

15. **क्रोमाटोग्राफः**इन उपकरणों से भूमिगत खदानों में गैसों का लगातार आधार पर विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि भूमि पर स्थित नियंत्रण कक्ष से प्रगति व परिणामों की निगरानी की जा सकती है ।

कोयला मंत्रालय का परिणाम–ढांचा संबंधी दस्तावेज (2011–12)

खंड-5

अन्य विभागों से विनिर्दिष्ट निष्पादन आवश्यकता

विद्युत मंत्रालय

(i) मात्रा व अनुसूची के संबंध में योजना के अनुसार पावर यूटिलिटियों का आयात होना चाहिए ।

(ii) कुछ ताप विद्युत केन्द्रों में अनलोडिंग अवरोध जो संबंधित विद्युत यूटिलिटियों द्वारा हटाये जाने की आवश्यकता जारी रखते हैं व विद्युत मंत्रालय द्वारा उनकी निगरानी होती है ।

विधि व न्याय मंत्रालय (विनियामक पर बिल के लिए)

कैबिनेट नोट के मसौदे के साथ मसौदा बिल को मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया गया है और इस को विधि व न्याय मंत्रालय को परामर्श के लिए भेजा गया है । इसके पश्चात मसौदा बिल सक्षम प्राधिकारी को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

कोयले व लिग्नाइट पर रायल्टी की समीक्षा

कोयले व लिग्नाइट पर रायल्टी दर की समीक्षा के लिए अध्ययन समूह की दूसरी बैठक, अतिरिक्त सचिव(कोयले) की अध्यक्षता में 3.2.2011 को हुई बैठक का संबंधित को वितरित कर दिया गया है । कोयले व लिग्नाइट पर रायल्टी दरों की समीक्षा के लिए स्टेक धारियों के साथ अध्ययन समूह की अगली बैठक मार्च, 2011 के माह में तय हुई है ।

पर्यावरण व वन मंत्रालय

(i) वन भूमि में खोजी बोरहोल की संख्या प्रति 10 वर्ग कि0मी0 15 से 20 बोरहोल प्रतिवर्ग किलोमीटर बढ़ायी गयी जिससे संभाव्यता/बैकएबल रिपोर्ट के लिए उचित संसाधन निर्धारण किया जा सके ।

(ii) 3 से 6 वर्षों में विलंबित वन प्रस्तावों को सामान्यतः 150 दिवस में और पर्यावरण स्वीकृति के लिए 210 दिवस की विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर पर्यावरण व वन मंत्रालय और कोयला उत्पादन राज्यों द्वारा वन व पर्यावरण स्वीकृति तीव्रता से प्रदान करेगा ।

(iii) पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) बनाने के समय में कमी के लिए ओपनकास्ट और भूमिगत माइन के लिए संदर्भ शर्तों का स्तर बनाना ।

(iv) अस्थायी कार्य अनुमति (टीडब्ल्यूपी) उत्पादन बढ़ाने के लिए दी जा सकती है जब तक चालू परियोजना/माइन के लिए उच्च क्षमता की समीक्षितईएमपी प्रस्तुत की जाए । ईएमपी तैयार करने के लिए अन्य अध्ययन व डाटा उत्पादन के लिए आवश्यक समय 1 वर्ष है । टीडब्ल्यूपी निरंतर कोयले की मांग को पूरा करने के लिए देश में कुछ ओपन कास्ट कोयला खानों से उत्पादन में वृद्धि की शीघ्र सुकर बनायेगी।

रेल मंत्रालय

(i) मूवमेंट लोजिस्टिक के परिप्रेक्ष्य में कोयला कंपनी द्वारा प्रेक्षित लक्ष्य के अनुसार कोयले की गति के लिए रेक प्रदान करना ।

(ii) रेलवे के पास लंबित निम्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन तीव्र करना ।

कोयला मंत्रालय का परिणाम–ढांचा संबंधी दस्तावेज (2011–12)

खंड-5

अन्य विभागों से विनिर्दिष्ट निष्पादन आवश्यकता

(क) झारखंड में टोडी-शिवपुर रेलवे लाइन 160 मिलियन टन कोयला उत्पादन परिवहन करने की संभावना है । परियोजना लागत 621 करोड़ रू0 थी व परियोजना वर्ष 2000 में शुरू हुई और अभी तक केवल 25 करोड़ खर्च हुए हैं । रेलवे लाइनों के क्रियान्वयन को तीव्र करने की आवश्यकता है ।

(ख) मांड-रायगेड कोलफील्ड रेलवे साइडिंग का बारूद-बिजुरी ब्लाक, छत्तीसगढ़ तक विस्तार ।इस क्षेत्र में लगभग 80 मिलियन टन कोयला निकाला जाएगा । बारूद बिजुरी ब्लाक, लखनपुर कोलफील्ड व अमादन कोयला ब्लाक के लिए रेलवे साइडिंग का विस्तार 3 विभिन्न खण्डों में कुल विस्तार 130 कि.मी. का है ।

(ग) उड़ीसा में एलबी कोयला फील्ड में गोपालपुर से मनोहरपुर तक 53 कि0मी0 रेलवे लाइन का निर्माण । क्षेत्र में संभव विकास 200 मिलियन टन है ।

(घ) तलचर कोलफील्ड में 74 कि0मी0 रेलवे ट्रेक के साथ 300 मिलियन टन से अधिक का अतिरिक्त कोयला उत्पादन की संभाव्यता ।

राज्य सरकारें

(i) कोयला ब्लाक के विकास व नई कोयला परियोजना शुरू करने में या कोयला परियोजना के विस्तार में भूमि अधिग्रहण एक मुख्य समस्या है । भूमि अधिग्रहण की समस्या आरएंडआर मामलों से जुड़ी है, जिनमें किरायेदारों के दावों की पृष्टि में विलंब, वैध शीर्षक दस्तावेजों की अनउपलब्धता, न्यायालय मामलों में भूमि खोने वालों के मध्य मतभेद , भूमि व घरों की प्रतिपूर्ति रकम प्राप्त करने के पश्चात भी पुर्नर्स्थापन स्थल पर जाने का प्रतिरोध व संबंधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम में निर्धारित भूमि मुआवजे से अधिक राशि की मांग ।

(ii) कई राज्यों में विशेषकर झारखंड, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में कानून व व्यवस्थ ने कोयला खदान कार्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है व अवैध खदान गतिविधियों में बढ़ोत्तरी हुई है ।

राज्य सरकारों प्राधिकरण का सक्रिय भागीदारी इन समस्याओं का निवारण या कटौती कर सकती है जिससे खदान प्रचालन जारी रखने की सुविधा होगी ।

(iii) भावी लिज मानिंग भूमि अधिग्रहण आदि कि लिए अनुमोदन प्रदान करने में काफी विलंब हो रहा है । ये प्रक्रियाएं राज्यों के नियंत्रण में है । नई खदान व वर्तमान खदानों के विस्तार के विकास के अनुमोदन प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए राज्य सरकार से अधिक जागरूकता व सराहना की आवश्यकता है ।

*****

कोयला मंत्रालय के लिए परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) (2011-12)

खड-6

विभाग/मंत्रालय का परिणाम/प्रभाव

विभाग /मंत्रालय का परिणाम / प्रभाव	निम्नलिखित विभाग/मंत्रालयों के साथ इस परिणाम /प्रभाव को प्रभावित करने के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार	सफलता का संकेतक	ईकाई	वित्तीय वर्ष 09/10	वित्तीय वर्ष 10/11	वित्तीय वर्ष 11/12	वित्तीय वर्ष 12/13	वित्तीय वर्ष 13/14
1 कोयले का बढ़ा हुआ उत्पादन तथा उठान	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, रेल मंत्रालय तथा राज्य सरकारें	सीआईएल द्वारा मिलियन टन में कोयले का उत्पादन	संख्या	431.26	431.32	209.62	464.10	487.65
		मिलियन टन में उठान	संख्या	508.03	516.39	233.49	-	-
2. लिग्नाइट का बढ़ा हुआ उत्पादन	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, राज्य सरकारें	मिलियन टन में लिग्नाइट उत्पादन	संख्या	22.34	23.144	15.63	26.02	26.02
		मिलियन यूनिट में सकल विद्युत उत्पादन	संख्या	17656.04	17801.08	11869.48	-	-
3. देश में कोयले की बढ़ी हुई उत्पादकता		उत्पादन प्रति मानव पाली (ओएमएस) टन में (सीआईएल)	संख्या	4.48	4.76	4.92	-	-
4. देश में कोयले के उत्पादन में बढ़ी हुई सुरक्षा		कोयले के उत्पादन के प्रति मिलियन टन में मृत्युदर (सीआईएल)	संख्या	0.17	0.21	-	-	-

कोयला मंत्रालय के लिए कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (उपलब्धि प्रस्तुत) (2011-12)

कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	ईकाई	भार	लक्ष्य/मानदंड मान					उपलब्धि	कार्यनिष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीकठाक	खराब		मूल अंक	भारित अंक
						100%	90%	80%	70%	60%			
[1]कोयला उत्पादन तथा उठान, लिग्नाइट उत्पादन तथा विद्युत उत्पादन के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना (एनएलसी)	12.00	पीएसयू के लिए तिमाही उत्पादन समीक्षा बैठक आयोजित करना । पीएसयू को उनकी समस्याओं /बाधाओं को संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के साथ उठाकर दूर करने में सहायता करना : (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ बैठक करना (ख) कोयला उत्पादक राज्यों के साथ कोयला परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण तथा पर्यावरण एवं वानिकी मंजूरी में गति लाने के लिए बैठकें करना ।	कोल इंडिया लि0 द्वारा एमओयू कोयला उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करना (लक्ष्य 2011-12- 452 मि.ट.)	लक्ष्य का %	5.00	100	97	94	91	88	96.42	88.07	4.4
			कोल इंडिया लि0 द्वारा एमओयू कोयला उठान लक्ष्य प्राप्त करना (लक्ष्य 2011-12- 454 मि.ट.)	लक्ष्य का %	3.00	100	97	94	91	88	95.27	84.23	2.53
			नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा लिग्नाइट उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना (लक्ष्य 2011-12- 24.14 मि.ट.)	लक्ष्य का %	2.00	100	97	94	91	88	101.86	100.0	2.0
			नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा विद्युत उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना (लक्ष्य 2011-12- 18758 मि.यू.)	लक्ष्य का %	2.00	100	97	94	91	88	100.16	100.0	2.0

कोयला मंत्रालय के लिए कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (उपलब्धि प्रस्तुत) (2011-12)

कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	ईकाई	भार	लक्ष्य/मानदंड मान					उपलब्धि	कार्यनिष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीकठाक	खराब		मूल अंक	भारित अंक
						100%	90%	80%	70%	60%			
(2) कैप्टिव ब्लाकों से विकास एवं उत्पादन को आसान बनाना ।	8.00	अपर सचिव के स्तर पर छमाही समीक्षा बैठक करना ।	2011-12 के लिए वार्षिक कार्य योजना के अनुसार उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करना- 38.25 मि.ट.	लक्ष्य का %	3.00	100	97	94	91	88	94.75	82.5	2.48
		90 दिनों के भीतर खान योजना अनुमोदन सूचित करना	90 दिनों के भीतर खान योजना अनुमोदन का %	लक्ष्य का %	2.50	100	97	94	91	88	100	100.0	2.5
		45 दिनों के भीतर खनन पट्टा के लिए पूर्व अनुमोदन देना ।	45 दिनों के भीतर दिया गया खनन पट्टा का %	लक्ष्य का %	2.50	100	97	94	91	88	100	100.0	2.5
(3) कैप्टिव कोयला ब्लाकों के आबंटन के लिए चयन प्रक्रिया के रूप में प्रतिस्पर्धी बोली शुरू करना ।	3.00	यह विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया है तथा 09 सितम्बर, 2010 को अधिसूचित किया गया ।इस अधिनियम के अंतर्गत नियमावली बनाना पूरा किया जाना है ।	30.09.2011 तक नियमावली अधिसूचित करना ।	दिनांक	3.00	30/09/2011	31/10/2011	30/11/2011	31/12/2011	31/01/2012	02/02/2012	0.0	0.0
(4) नए कोयला ब्लाकों की पहचान ।	5.00	अभिज्ञात कोयला ब्लाकों की पहचान तथा निर्धारण ।	31.12.2011 तक	दिनांक	2.50	31/12/2011	10/01/2012	20/01/2012	30/01/2012	10/02/2012	31/10/2011	100.0	2.5
		सीआईएल को कोयला ब्लाकों का आबंटन ।	29.02.2012 तक	दिनांक	2.50	29/02/2012	07/03/2012	15/03/2012	23/03/2012	31/03/2012	31/10/2011	100.0	2.5
(5) विनियमित विद्युत उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करना ।	4.00	संयुक्त सचिव(एलए) द्वारा सामान्यतया साप्ताहिक आधार पर उप समूहों की बैठकें करना।	वार्षिक संविदागत मात्रा (एसीक्यू) की आपूर्ति सुनिश्चित करना (लक्ष्य 2011-12: 335 मि.ट.)	एसीक्यू का %	4.00	100	97	94	91	88	93	76.67	3.07
(6) यह सुनिश्चित करना कि कोयला कंपनियां एफएसए व्यवस्था के अंतर्गत सभी संबद्ध उपभोक्ताओं को लाए ।	5.00	संयुक्त सचिव(एलए) द्वारा कोयला कंपनियों के साथ तिमाही समीक्षा बैठक करना ।	यह सुनिश्चित करना कि सभी उपभोक्ताओं जो एलओए की शर्तों के अनुसार लक्ष्य प्राप्त करेंगे, का एफएसए 31.12.2012 तक संपन्न किया जाता है।	दिनांक	5.00	31/12/2011	15/01/2012	31/01/2012	15/02/2012	29/02/2012	31/03/2012	0.0	0.0
(7) मौजूदा उपभोक्ताओं के लिए ढुलाई लागत कम करने के उद्देश्य कोयला आपूर्ति की मौजूदा स्रोतों को युक्तिसंगत बनाने पर विचार करना ।	5.00	संयुक्त सचिव(एलए) की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालयी कार्यबल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा कार्यबल की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना ।	30.09.2011 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।	दिनांक	2.50	30/09/2011	15/10/2011	31/10/2011	15/11/2011	30/11/2011	23/08/2011	100.0	2.5

कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	ईकाई	भार	लक्ष्य/मानदंड मान					उपलब्धि	कार्यनिष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीकठाक	खराब		मूल अंक	भारित अंक
						100%	90%	80%	70%	60%			
			31.12.2011 तक सिफारिशों का कार्यान्वयन।	दिनांक	2.50	31/12/2011	15/01/2012	31/01/2012	15/02/2012	29/02/2012		एन/ए	एन/ए
(8) कोलफील्ड क्षेत्रों में रेल एवं सड़क अवसंरचना विकास का कार्यान्वयन ।	2.50	संभावित कोलफील्डों में महत्वपूर्ण रेल एवं सड़क संपर्कों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करना । संभावित कोलफील्डों जिससे भावी उत्पादन में योगदान होने की आशा है, झारखंड में नार्थकरनपुरा, छत्तीसगढ़ में मांडरायगढ़ कोलफील्ड, उड़ीसा में तालचेर और आईवी वैली कोलफील्ड तथा आंध्रप्रदेश में सत्तूपल्ली कोलफील्ड । नार्थकरनपुरा कोलफील्ड में तोरी-शिवपुर-हजारीबाग न्यू रेल लिंक (92कि0मी0), मांड रायगढ़ कोलफील्ड में भूपदेवपुर-बड़ौत-दुर्गापुर (91कि0मी.) रेल लाइन, तालचेर कोलफील्ड में - समर्पित रेल कोरीडोर-1 जो कैप्टिव ब्लाकों से होकर जारापदा-तालचेर (87 कि.मी.) जोड़ती है, रेल कोरीडोर-2 जो राधिकापुर वेस्ट ब्लाक-अंगुल को जोड़ते हैं (50 कि0मी0) रेल कोरीडोर -3 जो अंगुल-तालचेर को जोड़ती है (40 कि0मी0) ।	वर्ष के दौरान उच्च स्तरीय समिति की बैठकें आयोजित करना ।	बैठकों की संख्या	2.50	2	1	0	0	0	1	90.0	2.25

कोयला मंत्रालय के लिए कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (उपलब्धि प्रस्तुत) (2011-12)

कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	ईकाई	भार	लक्ष्य/मानदंड मान					उपलब्धि	कार्यनिष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीकठाक	खराब		मूल अंक	भारित अंक
						100%	90%	80%	70%	60%			
(9) कोयला एवं लिग्नाइट ब्लाकों की खनन योजना बनाने के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित करना।	2.50	कोयला मंत्रालय की वेबसाइट पर दिशानिर्देश की देखभाल करना।	(9.1.1) 30.09.2011 तक जारी किए जाने वाले दिशानिर्देश	जारी करने की तिथि	2.50	30/09/2011	15/10/2011	31/10/2011	15/11/2011	30/11/2011	04/04/2011	100.0	2.5
(10) प्रमाणित भंडारों को बढ़ाने के लिए विस्तृत ड्रिलिंग पर बल	7.50	प्रगति की समीक्षा एवं मानीटर करने के लिए तिमाही बैठक करना।	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि0(सीएमपीडीआईएल) रांची की विस्तृत ड्रिलिंग के लिए निर्धारित वार्षिक कार्य योजना लक्ष्य प्राप्त करना (2011-12 के लिए वार्षिक कार्य योजना लक्ष्य-4.5 लाख मीटर)	लक्ष्य का %	7.50	100	97	94	91	88	111	100.0	7.5

कोयला मंत्रालय के लिए कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (उपलब्धि प्रस्तुत) (2011-12)

कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	ईकाई	भार	लक्ष्य/मानदंड मान					उपलब्धि	कार्यनिष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीकठाक	खराब		मूल अंक	भारित अंक
						100%	90%	80%	70%	60%			
(11) झरिया एवं रानीगंज मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की मानीटरिंग	3.00	उच्च स्तरीय समिति की बैठकें आयोजित कर मास्टर प्लान का कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करना । महत्वपूर्ण लक्ष्यों में झरिया के मामले में संकटग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को भूलीटाउनशिप में बसाना, झरिया तथा रानीगंज दोनों कोलफील्डों के मामले में जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण तथा भूमि का अधिग्रहण । रेलवे, पाइपलाइनों आदि जैसे सतही अवसंरचना के विपथन के लिए सर्वेक्षण भी करना ।	वर्ष के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या	3.00	3	2	1	0	0	2	90.0	2.7
(12) कोयला ढुलाई क्षमता बढ़ाना	3.00	सीआईएल के साथ कार्य की प्रगति की समीक्षा करना ।	सीआईएल द्वारा 6 नई वाशरियों के लिए कार्य आदेश देना सुनिश्चत करना।	वाशरियों की संख्या	3.00	6	5	4	3	2	2	60.0	1.8
(13) खानों में नई प्रौद्योगिकी शुरू करना ।	4.00	सतत खनन प्रौद्योगिकी के लिए मशीनरी की खरीद की मानीटरिंग करना ।	सीआईएल द्वारा 6 सतत खनिक उपकरणों की समय पर खरीद ।	संख्या	4.00	6	5	4	3	2	1	0.0	0.0
(14) भूमिगत खानों का सुरक्षा पहलू ।	4.00	भूमिगत खनन के वातायन पहलूओं के लिए क्रोमोटोग्राफ की खरीद की मानीटरिंग	सीआईएल द्वारा 20 क्रोमोटोग्राफ की समय पर खरीद	संख्या	4.00	20	17	14	11	8	0	0.0	0.0
(15) दुर्घटनाओं से बचने के लिए डंपर आपरेटर के ड्राइविंग कौशल में सुधार लाने के लिए ओपन कास्ट खानों का सुरक्षा पहलू ।	4.00	डंपर आपरेटरों को प्रशिक्षित करने के लिए सीमूलेटरों की खरीद की मानीटरिंग	डंपर आपरेटरो को प्रशिक्षित करने के लिए 7 सीमूलेटरों की समय पर खरीद ।	संख्या	4.00	7	6	5	4	3	0	0.0	0.0

कोयला मंत्रालय के लिए कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (उपलब्धि प्रस्तुत) (2011-12)

कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	ईकाई	भार	लक्ष्य/मानदंड मान					उपलब्धि	कार्यनिष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीकठाक	खराब		मूल अंक	भारित अंक
						100%	90%	80%	70%	60%			
(16) कोयला क्षेत्र के लिए स्वतंत्र विनियामक की स्थापना	2.50	मंत्रिमंडल सचिवालय को मंत्रिमंडल नोट प्रस्तुत करना ।	अंतिम प्रारूप नोट एवं विधेयक 31.07.2011 तक कोयला मंत्री के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना है ।	दिनांक	1.25	31/07/2011	31/08/2011	30/09/2011	31/10/2011	30/11/2011		एन/ए	एन/ए
			अंतिम मंत्रिमंडल नोट एवं प्रारूप विधेयक 30.09.2011 तक मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा जाना है ।	दिनांक	1.25	30/09/2011	31/10/2011	30/11/2011	31/12/2011	31/01/2012		एन/ए	एन/ए
(17) कोयला एवं लिग्नाइट पर रायल्टी दरों में संशोधन	4.00	प्रारूप मंत्रिमंडल नोट का परिचालन, स्टेक होल्डरों के साथ अध्ययन समूह की बैठक करना ।	31.01.2012 तक रायल्टी की संशोधित दरों को अधिसूचित करना ।	दिनांक	4.00	31/01/2012	15/02/2012	29/02/2012	15/03/2012	31/03/2012		एन/ए	एन/ए
(18) कैप्टिव ब्लाकों से अतिरिक्त कोयला एवं वाशरी अपशिष्टों के उपयोग संबंधी नीति कार्यान्वित करना ।	1.00	इस नीति को अंतिम रूप देना तथा प्रकाशित करना ।	30.11.2011 तक इस नीति का प्रकाशन ।	दिनांक	1.00	30/11/2011	31/12/2011	31/01/2012	29/02/2012	31/03/2012	13/12/2011	95.81	0.96
(19) भूमिगत एवं ओपनकास्ट खनन के लिए अलग-अलग उत्पादन प्रति व्यक्ति प्रति पाली (ओएमएस) की उत्पादकता में वृद्धि ।	1.00	ओएमएस की उपलब्धि की मानीटरिंग ।	भूमिगत खानों के लिए ओएमएस- 0.8 टन	टन	0.50	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.76	96.0	0.48
			ओसी खानों के लिए ओएमएस- 10 टन	टन	0.50	10	9	8	7	6		एन/ए	एन/ए
(20) बेंच मार्किंग सहित उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाना ।	1.00	कोयला उत्पादन के लिए भूमिगत तथा ओपनकास्ट दोनों प्रचालनों के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाकर प्रौद्योगिकी के विकास पर बल दिया जाता है । सतह खनिकों की खरीद, उच्च क्षमता वाले शावलों तथा डंपरों की खरीद के साथ-साथ ओपनकास्ट खानों के लिए समतुल्य सहायक उपकरणों तथा कोयला रखरखाव की सुविधाओं की योजना है ।	31.12.2011 तक कार्य योजना बनाना ।	दिनांक	1.00	31/12/2011	15/01/2012	31/01/2012	15/02/2012	29/02/2012		एन/ए	एन/ए

कोयला मंत्रालय के लिए कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (उपलब्धि प्रस्तुत) (2011-12)

कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	ईकाई	भार	लक्ष्य/मानदंड मान					उपलब्धि	कार्यनिष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीकठाक	खराब		मूल अंक	भारित अंक
						100%	90%	80%	70%	60%			
		इसी प्रकार नई खानें खोलना, सतत खनिकों तथा लोंगवाल उपकरणों आदि जैसे व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकियों को तैनात करना तथा सतत खनिकों, साइड डिस्चार्ज लोडरों तथा लोडहॉल डंपरों तथा जहां भी तकनीकी रूप से संभव हो अगले 5 वर्षों में लगभग 44 मिलियन टन से 65 मिलियन टन तक भूमिगत उत्पादन के वर्तमान स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य यांत्रिकरण भूमिगत प्रचालनों के लिए कनवेयरों की योजना बनायी गई है तथा कार्यान्वित की जा रही है ।											
(21) व्यापक कोयला परिषकरण नीति बनाना ।	1.00	यह नीति थर्मल पावर के लिए धुले कोयले की उपलब्धता में वृद्धि को आसान बनाना है तथा बेशकीमती कोयला संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए धुलाई की तकनीकी व्यवहार्यता पर नियंत्रण रखना है । सीआईएल ने वर्तमान उत्पादन की धुलाई करने के लिए 12वीं योजना के अंत तक 111 मिलियन टन प्रति वर्ष की कुल क्षमता के लिए नई 20 वाशरियों की स्थापना करने के लिए पहले ही कार्रवाई किए हैं तथा उन स्थानों पर एकीकृत वाशरियों को विकसित करने का निर्णय लिया जहां भी 2.5 मि.ट. प्रति वर्ष अथवा अधिक क्षमता का ओपनकास्ट खान शुरू किया जाना प्रस्तावित है ।	31.12.2011 तक व्यापक कोयला परिषकरण नीति बनाना ।	दिनांक	1.00	31/12/2011	15/01/2012	31/01/2012	15/02/2012	29/02/2012		एन/ए	एन/ए

कोयला मंत्रालय के लिए कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (उपलब्धि प्रस्तुत) (2011-12)

कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	ईकाई	भार	लक्ष्य/मानदंड मान					उपलब्धि	कार्यनिष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीकठाक	खराब		मूल अंक	भारित अंक
						100%	90%	80%	70%	60%			
(22) उन्नत एकीकृत सुरक्षा मानीटरिंग प्रणाली लागू करना।	1.00	गैस क्रोमोटोग्राफ की तैनाती रूफ मूवमेंट की मानीटरिंग के लिए सेंसर स्थापित कर, फंसे हुए खनिकों की पहचान करने के लिए रेडियो बारम्बारता डिक्टटर स्थापित कर, वायरलेस संचार प्रणाली आदि के माध्यम से भूमिगत पर्यावरण के लिए मानीटरिंग प्रणाली की योजना भूमिगत प्रचालनों की सुरक्षा में सुधार लाने के लिए किया गया है । उसी प्रकार सेटलाइट निगरानी के माध्यम से बेंच स्लोप स्थायित्व, डंपरों की आवाजाही की मानीटरिंग ओपनकास्ट प्रचालनों के लिए कुछ प्रस्तावित कदम हैं ।	31.12.2011 तक सुदूर नियंत्रण तथा अन्य उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए उन्नत एकीकृत सुरक्षा मानीटरिंग प्रणाली लागू करने के लिए कार्य योजना बनाना ।	दिनांक	1.00	31/12/2011	15/01/2012	31/01/2012	15/02/2012	29/02/2012		एन/ए	एन/ए
(23) कोलियरियों में अन्वेषण के लिए क्षमता में वृद्धि तथा संसाधनों का प्रमाणन ।	1.00	सीएमपीडीआईएल की ड्रिलिंग क्षमता 2 से 4 लाख मीटर प्रति वर्ष तक दुगने किए जाने की योजना है तथा अतिरिक्त कार्य की योजना ड्रिलिंग प्रचालनों की आउटसोर्सिंग के माध्यम से किए जाने की योजना है ।	31.12.2011 तक देश में संसाधनों के अन्वेषण एवं प्रचालन के लिए क्षमता की वृद्धि हेतु कार्य योजना बनाना ।	दिनांक	1.00	31/12/2011	15/01/2012	31/01/2012	15/02/2012	29/02/2012		एन/ए	एन/ए

कोयला मंत्रालय के लिए कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (उपलब्धि प्रस्तुत) (2011-12)

कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	ईकाई	भार	लक्ष्य/मानदंड मान					उपलब्धि	कार्यनिष्पादन	
						उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 90%	अच्छा 80%	ठीकठाक 70%	खराब 60%		मूल अंक	भारित अंक
		इसके अलावा, कैप्टिव ब्लाक धारकों को कोयला मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने बल पर अन्वेषण करने की अनुमति दी गई है ।											
* आरएफडी प्रणाली का प्रभावी कार्यचालन	3.00	अनुमोदन के लिए प्रारूप समय पर प्रस्तुत करना ।	समय पर प्रस्तुत करना	दिनांक	2.00	07/03/2011	08/03/2011	09/03/2011	10/03/2011	11/03/2011	07/03/2011	100.0	2.0
		परिणाम समय पर प्रस्तुत करना	समय पर प्रस्तुत करना	दिनांक	1.00	01/05/2012	03/05/2012	04/05/2012	05/05/2012	06/05/2012	01/05/2012	100.0	1.0
* मंत्रालय/विभाग की आंतरिक कार्यक्षमता / जवाबदेही/सेवा देने में सुधार ।	10.00	सेवोत्तम का कार्यान्वयन	नागरिक/ग्राहक चार्टर का संशोधित प्रारूप पुनः प्रस्तुत करना ।	दिनांक	2.00	16/01/2012	18/01/2012	20/01/2012	23/01/2012	25/01/2012	17/01/2012	95.0	1.9
		सेवोत्तम का कार्यान्वयन	शिकायत निवारण तंत्र के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	%	2.00	100	90	80	70	60	42.75	0.0	0.0
		आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (ख) का कठोर अनुपालन	मदों की संख्या जिनपर सूचना 10 फरवरी, 20112 तक अपलोड की गई है ।	संख्या	2.00	16	15	14	13	12	16	100.0	2.0
		विभागीय गतिविधियों से संबंधित भ्रष्ट्राचार के संभावित क्षेत्र की पहचान करना तथा उसे दूर करने के लिए कार्ययोजना विकसित करना।	भ्रष्ट्राचार के संभावित क्षेत्रों को दूर करने के लिए कार्ययोजना को अंतिम रूपप देना ।	दिनांक	2.00	26/03/2012	27/03/2012	28/03/2012	29/03/2012	30/03/2012	10/02/2012	100.0	2.0
		आईएसओ 9001 प्रमाणन कार्यान्वित करने के लिए कार्य योजना विकसित करना ।	आईएसओ 9001 प्रमाणन को कार्यान्वित करने के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप देना ।	दिनांक	2.00	16/04/2012	17/04/2012	18/04/2012	19/04/2012	20/04/2012	10/02/2012	100.0	2.0
* वित्तीय उत्तरदायित्व ढांचा का अनुपालन सुनिश्चित करना ।	2.00	सीएंडएजी के ऑडिट पैराओं पर एटीएन को समय पर प्रस्तुत करना ।	वर्ष के दौरान सीएंडएजी के द्वारा संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि से सही तिथि (4 महीने) के भीतर प्रस्तुत एटीएन का %	%	0.50	100	90	80	70	60	100	100.0	0.5

कोयला मंत्रालय के लिए कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (उपलब्धि प्रस्तुत) (2011-12)

कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	ईकाई	भार	लक्ष्य/मानदंड मान					उपलब्धि	कार्यनिष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीकठाक	खराब		मूल अंक	भारित अंक
						100%	90%	80%	70%	60%			
		पीएसी रिपोर्टों पर पीएसी सचिवालय को एटीआर समय पर प्रस्तुत करना।	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि से सही तिथि (6 महीने) के भीतर प्रस्तुत एटीआर का %	%	0.50	100	90	80	70	60	100	100.0	0.5
		31.03.2011 के पूर्व संसद को प्रस्तुत सीएंडएजी रिपोर्ट की लेखा परीक्षा पैराओं पर लंबित एटीएन का शीघ्र निपटारा।	वर्ष के दौरान निपटाए गए देय एटीएन का प्रतिशत	%	0.50	100	90	80	70	60	100	100.0	0.5
		31.03.2011 के पूर्व संसद को प्रस्तुत पीएसी रिपोर्ट पर लंबित एटीआर का शीघ्र निपटारा	वर्ष के दौरान निपटाए गए देय एटीआर का प्रतिशत	%	0.50	100	90	80	70	60	100	100.0	0.5